

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या -16 /2021 (प्रार्थना पत्र)

GCMS No. 2021/0095

ओमप्रकाश पुत्र श्री मन्नालाल निवासी अरलिया जागीर, तहसील
लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलाण्ट

बनाम

1. क्षेत्रीय अधिकारी (Morth) जरिये परियोजना निदेशक, ए-504, इन्द्रा
विहार तलवण्डी कोटा वास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी, एन.एच.
148-एन जिला कोटा राज0
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा वास्ते
एन.एच. 148-एन अवाईड दिनांक 5.7 एवं 14.8.2019 3-जी-1, 2,3
कलेक्ट्रेट परिसर नयापुरा कोटा जिला कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट



आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र एवं आपत्तियां अन्तर्गत धारा
3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, वास्ते
वर्तमान कृषि भूमि के बाजारु मूल्य एवं डीएलसी दर से
मुआवजा निर्धारित किये जाने बाबत् ।

उपस्थित:-

1. श्री सतीश पचोरी, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजकुमार वर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
3. श्री अभिनव जैन अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-1
4. श्री दिलदार सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-1

निर्णय

दिनांक :- 14.09.2021

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम
1956, के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148-एन दिल्ली बडोदरा
एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम शंकरपुरा
प0ह0 दीपपुरा तहसील लाडपुरा स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 218 रकबा

2
जिशा कलेक्टर
कोटा

2.0700 हे० नहरी द्वितीय में से 1.4265 हे० अवाप्ती का अवार्ड जारी किया जाने पर भुगतान प्राप्त करने हेतु जारी नोटिस दिनांक 28.11.2019 से असन्तुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस०बी०सिविल रिट पीटीशन नं० 13455/2020 आदेश दिनांक 3.3.2021 से माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश के क्रम में प्रस्तुत किया है ।

2. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.03.2021 को प्रस्तुत किया कि उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ख) व 3(ग) के तहत मौके पर कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, नापजोख, मूल्यांकन या जांच करना, तलमापन करना अवमृदा का खोदा जाना, सीमाओं और संकर्म का आयाथित रेखांकन करना एवं प्रार्थी के मौके पर भौतिक व वास्तविक कब्जे का सत्यापन करने का कार्य नहीं किया, आक्षेपों की सुनवाई नहीं की तथा निवेदन करने पर भी धारा 3(झ) के तहत बिना कब्जे वाले व मृत हुये खातेदारों के नामान्तकरण खोल कर वास्तविक कब्जे के सत्यापन के लिये किसी भी गवाह को ना तो बुलाया, ना ही जो दस्तावेज दिये गये, उन्हें रिकार्ड पर लिया । शपथ पत्रों पर साक्ष्य नहीं ली व अन्य लोक अभिलेख का अवलोकन कर कमिश्नर नियुक्त नहीं किया एवं धारा 3 (ग)(2) के तहत नोटिस व प्रार्थना पत्र देने के बावजूद उक्त आक्षेपों पर प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सामान्य व पुरानी डीसलसी दर पर ही मात्र कृषि भूमि का मुआवजा न्यूनतम दर से निर्धारित कर दिया । वर्तमान मुआवजा जिस प्रकार से एन.एच. 148 एन अवार्ड दिनांक 5.7 एवं 14.8.2019 3-जी-1, 2 व 3 से निर्धारित किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की अधिसूचना सं० का. आ.557(अ) दिनांक 30.01.2019 प्रकाशित दिनांक 11.02.2019 के सन्दर्भ में नोटिस दिनांक 28.11.2019 में लगभग 2 वर्ष का समय लिया एवं प्रार्थी को दिये नोटिस की पालना में 60 दिन के भीतर-भीतर अपनी आपत्तियां प्रेषित करते ही कोविड-19 महामारी प्रारंभ हो गई । इस कारण से उभयपक्षों को कोरोना काल में विलम्ब की अवधि का समय मिल गया परन्तु उक्त लाभ प्रार्थी को नहीं दिया जा रहा है और प्रार्थी को अब भूमि का कब्जा लेने के लिये बिना उचित मुआवजा दिये ही मजबूर किया जा रहा है । प्रार्थी से अभी तक भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में वर्णित अनुसार "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation Resettlement Act 2013" वर्तमान अर्थात् 2020-21 की कृषि भूमि की डीएलसी एवं बाजारु दर से भूमि का उचित मुआवजा निर्धारित कर दिया जाना कानूनी व न्यायोचित है । सक्षम प्राधिकारी ने प्रथम सर्वे में सेटलमेन्ट के नक्शे की डीपीआर स्वीकृतशुदा भारत सरकार के अनुसार वर्तमान मौके की निशानदेही नहीं की इस कारण से प्रार्थी की खसरा नं० 218 की भूमि आंशिकरूप से अवाप्त दर्शायी गई है जबकि मौके पर उक्त भूमि में से बची शेष भूमि किसी भी उपयोग की नहीं रहेगी । इसलिये प्रार्थी की सम्पूर्ण खसरा नं० 218 की भूमि आंशिक दौनों ओर

2
जिला कलेक्टर
कोटा

छोड़कर बीच में से भूमि अवाप्त दर्शायी गई है जबकि मौके पर उक्त भूमि में से बची शेष भूमि किसी भी उपयोग की नहीं रहेगी इसलिये प्रार्थी की सम्पूर्ण खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि अवाप्त की जानी चाहिये, शेष भूमि जो अब प्रार्थी के उपयोग की नहीं रही है को भी अवाप्त किया जाना व सम्पूर्ण भूमि का उचित मुआवजा वर्ष 2020-21 की डीसलसी दर व बाजारु दर से दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है । यहां यह उल्लेख किया जाना अति आवश्यक है कि प्रार्थी की खसरा नम्बर 218 की भूमि ग्राम शंकरपुरा के पूर्व में मुताबिक नक्शा ट्रेस स्थित है । इसके ठीक लगी हुई अन्य भूमि समान मालियत व डीएलसी दर जिसका मुआवजा श्रीमान सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थी से अधिकतम के हिसाब से तय किया गया है, जबकि प्रार्थी का भी इसी हिसाब से समान दर से मुआवजा निर्धारित कर दिलाया जाना न्यायोचित है । इससे सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति संलग्न है ।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एडवोकेट अभिनव जैन एवं एडवोकेट दिलदार सिंह उपस्थित । अप्रार्थी नं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । उपस्थित उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की अधिसूचना सं0 का.आ.557(अ) दिनांक 30.01.2019 प्रकाशित दिनांक 11.02.2019 के सन्दर्भ में नोटिस दिनांक 28.11.2019 में लगभग 2 वर्ष का समय लिया एवं प्रार्थी को दिये नोटिस की पालना में 60 दिन के भीतर-भीतर अपनी आपत्तियां प्रेषित करते ही कोविड-19 महामारी प्रारंभ हो गई । इस कारण से उभयपक्षों को कोरोना काल में विलम्ब की अवधि का समय मिल गया परन्तु उक्त लाभ प्रार्थी को नहीं दिया जा रहा है और प्रार्थी को अब भूमि का कब्जा लेने के लिये बिना उचित मुआवजा दिये ही मजबूर किया जा रहा है । प्रार्थी से अभी तक भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में वर्णित अनुसार "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation Resettlement Act 2013" वर्तमान अर्थात् 2020-21 की कृषि भूमि की डीएलसी एवं बाजारु दर से भूमि का उचित मुआवजा निर्धारित कर दिया जाना कानूनी व न्यायोचित है । सक्षम प्राधिकारी ने प्रथम सर्वे में सेटलमेन्ट के नक्शे की डीपीआर स्वीकृतशुदा भारत सरकार के अनुसार वर्तमान मौके की निशानदेही नहीं की इस कारण से प्रार्थी की खसरा नं0 218 की भूमि आंशिकरूप से अवाप्त दर्शायी गई है जबकि मौके पर उक्त भूमि में से बची शेष भूमि किसी भी उपयोग की नहीं रहेगी । इसलिये प्रार्थी की सम्पूर्ण खसरा 218 की सम्पूर्ण भूमि 2.0700 में से 1.4265 हे0 भूमि ही अवाप्त की गई है, शेष भूमि जो अब प्रार्थी के उपयोग की नहीं रही है को भी अवाप्त किया जाना व सम्पूर्ण भूमि का उचित मुआवजा वर्ष 2020-21 की डीसलसी दर व बाजारु दर से दिया जाना आवश्यक व

जिजा कलेक्टर
मौदा

न्यायोचित है । तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नोकरी, राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे से सरकारी खर्च पर पक्की पाईप लाइन डलवाई जावे , आर.ओ.बी. के नीचे से दौनों ओर सर्विस लेन बनाकर दी जावे । आदि मांग की गई है ।

5. वकील अप्रार्थी नं० 1 ने अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ख०नं० 218 की 1.4265 हे० किस्म नहरी द्वितीय ओमप्रकाश हि. 13/20 , पूरणमल हि. 163/1380 पुत्रान मन्नालाल जाति धाकड सा. अरलिया ब्रजमोहन पुत्र कन्हैयालाल हि. 16/69 जाति गुर्जर सा. चारणहेडी वाके ग्राम शंकरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन (भरतमाला) हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.577(अ) दिनांक 30.01.2019 को जारी की जो भारत के राजपत्र में दिनांक 30.01.2019 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दौ दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.02.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि खसरा नम्बर 218 की 1.4265 हे० निजी किस्म नहरी द्वितीय ओमप्रकाश हि. 13/20 , पूरणमल हि. 163/1380 पुत्रान मन्नालाल जाति धाकड सा. अरलिया ब्रजमोहन पुत्र कन्हैयालाल हि. 16/69 जाति गुर्जर सा. चारणहेडी वाके ग्राम शंकरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3-जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत नियमानुसार किया गया । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा खसरा नम्बर 218 की 1.4265 हे० निजी किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम शंकरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-क की अधिसूचना के प्रकाशन के समय प्रचलित डीएलसी दर अथवा 3-क की अधिसूचना के प्रकाशन के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उसी प्रकार की भूमि के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों में से आधे विलेखों या करारों जिनकी उच्चतम विक्रय कीमत हो, की औसतन दर दौनों में से जो भी अधिक हो के अनुसार तय किया गया है । प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि का जो मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने

जिला कोर्ट
कोटा

अवार्ड क्रमांक/797 दिनांक 05.07.2019 से निर्धारित किया गया है वह पूर्णरूप से विधि के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है तथा जिसमें किसी प्रकार की कोई अंकीय त्रुटि अथवा कमी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम अरलिया जागीर के खसरा नम्बर 218 की 1.4265 हे० भूमि उक्त 8 लेन परियोजना (भारतमाला) में अवाप्ति हेतु एवार्ड पारित कर दिया गया। कृषि भूमि का मुआवजा अवार्ड दिनांक 05.7.2019 से प्रतिपक्षी नं० 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वक्त अवाप्ति अधिसूचना 3क की प्रचलित डीएलसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है। वकील प्रार्थी का मुख्य कथन है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनको आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया। इस बाबत प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस०बी०सिविल रिट पीटीशन नं० 13455/2020 आदेश दिनांक 3.3.2021 से माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश के क्रम में यह आपत्तियां इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा तय किया गया है वह RFCTLARR ACT 2013 के तहत ही तय किया गया है। प्रार्थी वर्तमान 2020-21 की डी०एल०सी० दर से मुआवजा चाहता है, तथा परिवार के सदस्य को नोकरी, एवं अन्य मांग रखी गई है जो प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा नये नियम 2013 के तहत ही भुगतान किया गया है फिर भी यदि Structure आदि का भुगतान शेष हो तो उसकी जांच कराई जाकर भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है।
7. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर एस०बी०सिविल रिट पीटीशन नं० 13455/2020 आदेश दिनांक 3.3.2021 से प्रदत्त आदेशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

2-10-21
(उज्ज्वल राठीड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा